अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 भूमिका

1.1.1 प्राचीन भारत में कार्य विभाजन

1.1.2 आधुनिक भारत में कार्य विभाजन

1.1.3 विद्यार्थियों का दृष्टिकोण

1.1.4 लिंग-भेद

1.2 स्वतंत्रता से पूर्व स्त्री शिक्षा और स्त्री का स्थान

1.3 कार्य-योजना 1992 तथा महिला शिक्षा

1.4 महिला समख्यान

1.5 अध्ययन की आवश्यकता

1.6 समस्या का कथन

1.7 अध्ययन के उद्देश्य

1.8 परिकल्पना

1.9 तकनिकी शब्दों की परिभाषाएँ

1.9 समस्या का सीमांकन

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 भूमिका –

इतिहास यदि समय के शिलालेख है तो समाज निश्चित काल–खण्ड का समाज ही, उस काल के इतिहास का निर्माता है। संपूर्ण विश्व की आदिम सभ्यताओं में आवश्यकताएँ ही समाज के निर्माण का कारण बनी। इस आवश्यकताओं की सत्त वृद्धि से समाज पल्लवित हुआ। प्रस्तुत शोध कार्य भी पुरातन भारतीय समाज से, वर्तमान भारतीय समाज तक का कार्य–विभाजन संबंधी एतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है।

हमारे समाज में सामाजिक व्यवस्था में स्तरीकरण, पारंपरिक मान्यताएँ, जाति, लिंग–भेद, आर्थिक व्यवस्था स्तर आदि को ध्यान में रखकर कार्य–विभाजन होता रहा है। अब आधुनिकरण के चलते तथा कुछ अन्य प्रभावों से अब कार्य–विभाजन का आधार काबिलियत, योग्यता, रूचि और समझशक्ति को भी बनाया गया है।

वर्तमान समय में कार्य–विभाजन किन आधारों पर होना चाहिए यह स्पष्ट है फिर भी समाज में कार्य–विभाजन में असमानता मिलती है। प्राचीन परम्परा में जाति विशेष के लोग अपना पंरम्परागत व्यवसाय ही करते थे। अन्य के बारे में सोचना भी, मुश्किल था अन्यथा समाज उसे उस के लिये बाधित करता था। वर्तमान समय में व्यक्ति अपनी पसंद का व्यवसाय चुन सकता है। परन्तु आज भी कुछ क्षेत्रों में असमानता देखने को मिल रही है। कुछ परिवर्तनों को देखकर यह कहना उचित न होगा कि समाज से लिंग–भेद हट चुका है।

1.1.1 प्राचीन भारत में कार्य–विभाजन –

प्राचीन भारत में कार्य विभाजन वर्ण व्यवस्था पर किया गया। जो चार वर्ण में विभाजित किया गया ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिसमें पहला दर्जा ब्राम्हण को दिया गया जिसका कार्य विद्या प्राप्त करना एवं शिक्षा देना था दूसरा दर्जा क्षत्रीय को दिया गया। जिसे सबसे शक्तिशाली माना गया जिसका कार्य देश की रक्षा करना था। तीसरा दर्जा वैश्य को दिया जिसका कार्य व्यवसाय करना था चौथा दर्जा शूद्र को दिया जिसका कार्य उपर्युक्त तीनों वर्णो की सेवा करना एवं खेती करना था।

1.1.2 आधुनिक समय में कार्य विभाजन –

आधुनिक समय में कार्य–विभाजन जातिगत नहीं रहा बदलाव आ गया है आज हरेक कार्य अपनी काबिलियत, समझशक्ति, रूचि, योग्यता के आधार पर किया जाता है।

प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय में कुछ हद तक अभी भी स्तरीकरण पर कार्य–विभाजन होता नजर आ रहा है।

i) लिंग–भेद के आधार पर

ii) जाति, धर्म के आधार पर

iii) आर्थिक व्यवस्था के आधार पर

प्राचीन समाजों में लिंग–भेद देखा गया है। स्त्री को सदैव असहाय और दूसरों पर निर्भर रहने की शिक्षा दी गयी है। यह शिक्षा देकर ही पुरूष युगों से नारी पर शासन करता आ रहा है।

समाज के हाशिए में रहने वाले वर्गो से आए बच्चों के बारे में बनी हुई रूढिबद्ध मान्यताएँ धारणाओं की निरंतरता गंभीर चिन्ता का विषय है इस समूह में जाति एवं जनजाति भी शामिल है। जिसे पहले कभी स्कूल साक्षरता तक पहुँच नहीं मिली। वह सोचते है कि लड़को को

ही शिक्षा का हक है। लड़कियाँ पढ़ाई में कमजोर होती है। लड़के ही व्यवसाय खेल आदि में होशियार रहते हैं, लड़कियाँ कमजोर होती है। यह समझ इस विचार से निकलती है कि हीनता एवं असमानता लिंग जाति शारीरिक व मानसिक असमर्थताओं में ही निहित है सफलता की कुछ कहानियाँ तो है लेकिन अधिकतर संख्या उन लोगों की है जो असफल हो जाते है। समानता के मूल्यों को तभी प्राप्त कर सकते है जब हम विद्यार्थियों में सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता की समझ द्वारा समानता के दृष्टिकोण को विकसित करें।

स्वतंत्र भारत में नारी की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। जिन बन्धनों में वह बँधी हुई थी वह बन्धन टूट रहे है जिस स्वतंत्रता से वंचित किया गया उससे वह प्राप्त कर रही है। आज नारी पुरूषों के बराबर कार्य कर रही है। जैसे खेलों का मैदान व्यवसायिक कार्य, राजनीति अनेक रूप में आगे बढ़ रही है उदाहरण के रूप में सुनिता विलिम्स राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल इत्यादि।

1.1.3 विद्यार्थियों का दृष्टिकोण –

समाज में लिंग–भेद के आधार पर किए गये कार्य–विभाजन संबंधी व्यवस्था को विद्यार्थी किस प्रकार देखते है तथा उसके प्रति दृष्टिकोण कैसा है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से वे शिक्षा शास्त्र मुद्दों पर राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक–नैतिक, पहलू कैसे देखते है। बच्चे दूसरों को किस प्रकार देखते है। बच्चे, मित्र, पड़ोसी, विपरीत सेक्स का कैसे चयन करते है। खेल, मित्र, केरियर इत्यादि निर्णय कैसे करते है। इसी प्रकार मानवीय अधिकारों, जाति, धर्म एवं लिंग आदि मुद्दों पर भी बात हो सकती है ताकि वह देख सके की किसी तरह वह मुद्दे उसके दैनिक जीवन से जुड़े हुये है। विभिन्न प्रकार की असमानतायें किसी प्रकर

मिलकर बढ़ती जाती है। विविध दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है। शोध-कार्य में समाज में लिंग-भेद के आधार पर कार्य-विभाजन संबंधी विद्यार्थियों के दृष्टिकोण समाज की प्रमुख समया के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है इसलिए विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है।

1.1.4 लिंग – भेद :–

समाज में अनेक कार्यो में लिंग-भेद देखा जाता है। स्त्री कई हकों को लेकर लड़ी है, फिर भी आज जिसमें कुछ में कामयाब हुई है तो कुछ कार्यो में अभी भी पीछे है। अनेक कार्यो में पक्षपात होता रहा है। नौकरियों के संदर्भ में भी लिंग भेद स्पष्ट रूप से देखा जाता है। 33 प्रतिशत का महिला आरक्षण ही अपने आप में लिंग-भेद को प्रदर्शित करता है।

समाज के विभिन्न स्तरों में अकसर लिंग-भेद प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से देखने को मिलता है। चाहे वह पारिवारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या फिर वह अधिकारों का ही क्षेत्र क्यों न हो। लाखो प्रयत्न के बाद भी उन सभी क्षेत्रों में पुरूष प्रधानता देखने को मिलती है जिसमें स्त्रीयों की प्रधानता को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। आधुनिकता का ~~चोला~~ चोला पहने हमारा समाज राजकीय एवं प्रशासनीक तथा संवैधानिक मंतव्यों में स्त्रीयों को पुरूष के समान स्थान और अधिकार देने की बात की जाती है। परन्तु अनेक घटनाओं में अंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर यह कहना भी व्यर्थ नहीं होगा की स्त्री अधिकार की बातें ज्यादा और काम बहुत कम हुआ है।

इन्हीं सभी प्रश्नों और संभावनाओं को अमूर्त से मूर्त, शाब्दिक स्वरूप में ढ़ालने के लिए तथा परिकल्पनाओं को जाँचने के लिये

अध्ययनकर्ता के द्वारा लिंग-भेद पर आधारित कार्य-विभाजन पर शोध कार्य किया जा रहा है।

1.2 स्वतंत्रता से पूर्व स्त्री का स्थान –

– वैदिक युग

वैदिक काल में धोषा, गार्गी, मैत्रेयी, शकुन्तला आदि अनेक विदुषी महिलायें थी। यह इस बात का प्रमाण है कि उनको पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वैदिक काल में स्त्रियों की शारीरिक रचना की भिन्नता के कारण कोमल मानने के बाद भी समस्त प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने में सक्षम माना गया। नारी की मूल शिक्षा में गृहकार्य दक्षता, ललितकला तथा वेदों के ज्ञान का प्रमुख स्थान था।

– ब्राम्हण युग

ब्राम्हण युग में स्त्रियों को घर की चार दीवारों में सिमित कर दिया गया। तथा स्त्रीशिक्षा को बहिष्कृत एवं उपेक्षित किया गया। इस कारण उक्त समय की प्रचलित युक्तियाँ समाज में रूढ़ि बन गई। जैसे शुद्र नारी को पढ़ाना नहीं चाहिये।

– बौद्ध युग

प्राचीन बौद्ध युग में स्त्रियों का स्थान पुरूषों से निम्न होने से उसका संघ में प्रवेश वर्जित था किन्तु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने को आज्ञा देकर उसकी शिक्षा को नवजीवन प्रदान किया। बाद में उनके लिये पृथक विहारों की स्थापना की गई।

– मुस्लिम काल

डॉ. एफ.ई. कई के शब्दों में –

"पर्दा प्रथा जिसमें छोटी बालिकाओं के अलावा सब मुस्लिम स्त्रियों को एकान्त में बन्द रखा। उनकी शिक्षा को महान कठिनाई का कारण बना दिया।"

पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा का ह्रास हुआ। पर्दा प्रथा के कारण केवल छोटी या अल्प आयु की बालिका कभी-कभी मकतबों में जाकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करती थी। राज्य या समाज की ओर से स्त्रियों की शिक्षा के लिये अलग से कोई शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था नहीं की गई थी। केवल सम्पन्न घरों की बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध उनके घर पर ही कर दिया जाता था। निम्न एवं निर्धन वर्ग की बालिकायें शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती थी।

इस काल की कुछ प्रमुख विदूसियों के बारे में बाबर की पुत्री गुलबदन सुल्ताना, रजिया सुल्तान, नूरजहां, मुमताज तथा औरंगजेव की पुत्री जेस्षुनिसा के नाम उल्लेखनीय है। हिन्दु विदुषियों में रानी रूपमती, दुर्गावती, अहिल्याबाई तथा शिवाजी की माता जीजाबाई प्रमुख थी।

– अंग्रेजी शासनकाल में

भारतमें 1601 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा। इस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में शिक्षा वैसे ही अपेक्षित थी। जो कुछ प्रयास किये थे वे केवल बालकों की शिक्षा के लिए किये गए थे। स्त्री शिक्षा को अनावश्यक मानकर उसकी ओर नाम मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया। इसका कारण यह था कि – उन्हें शासकीय एवं व्यवसायिक कार्यालयों के लिये शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी। ऐतिहासिक दृष्टि से ज्ञात होता है कि सन् 1854 से ही अंग्रेजी सरकार ने स्त्री शिक्षा की और अपनी थोड़ी बहुत रूचि का संकेत दिया है।

– स्वतंत्र भारत में स्त्री की स्थिति

स्वतंत्र भारत में नारी जाति ने करवट बदली है। उसने अपने वास्तविक महत्व को जानना और पहचानना शुरू कर दिया है। स्त्री–शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विलक्षण क्रान्ति परिलक्षित हो रही है। इस क्रान्ति से संबंधित तथ्य एवं परिणामों का विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत यथास्थान वर्णन किया गया है।

1. विश्व विद्यालय आयोग (1948–1949)

डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया। इस आयोग के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे।

- स्त्रियों को पुरूष समान शैक्षिक अवसर प्राप्त होने चाहिए।
- ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि स्त्रियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो सके ताकि अच्छी माता और अच्छी गृहीणी बन सके।
- स्त्रियों की शिक्षा में गृहशास्त्र और गृह प्रबंध को समुचित शिक्षा का प्रावधान अवश्य हो उन्हें इन विषयों के लिये अधिक प्रेरित किया जाए।
- स्त्रियों को अपने हितों के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने में योग्य पुरूषों और स्त्रियों द्वारा परामर्श किया जाए।

सन् 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय जनता ने स्वयं को अपना संविधान निष्ठापूर्वक अर्पित किया।

2. भारतीय संविधान में स्त्री शिक्षा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (1) 16 (1) 16 (2) में उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। भारतीय संविधान की धारा 15 के अनुसार "राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

3. राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)

भारत सरकार ने सन् 1958 में शिक्षा पर विचार करने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला-शिक्षा समिति की नियुक्ति की। इस समिति को "देशमुख समिति" (Deshmukh Comittee) भी कहा जाता है।

समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और उनमें निम्नांकित सुझाव दियेः-

- केन्द्रीय सरकार को स्त्री-शिक्षा को कुल समय के लिए एक विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।
- केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री - शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए और केन्द्रीय सरकार को प्रसार-संबंधी समस्त व्यय का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।

- पुरूषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में विद्यमान विषमता को यथाशीघ्र समाप्त करके दोनों की शिक्षा में समानता स्थापित की जानी चाहिए।
- केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को स्त्री–शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' नामक एक पृथक इकाई की सृष्टि करनी चाहिए।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं को शिक्षा की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

4. राष्ट्रीय महिला – शिक्षा परिषद (1959)

'देशमुख समिति' की सिफारिश को स्वीकार करके केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1959 में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' का निर्माण किया। 1964 में इसका पुनर्गठन किया गया। इस समय इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 27 सदस्य हैं। इसके मुख्य कार्य अग्रलिखित हैं।

- विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा में संबंधित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।
- उक्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए उपायों का सुझाव देना।
- बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिए उचित उपायों का सुझाव देना।
- उक्त शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का समय – समय पर मूल्यांकन करना और भावी कार्यक्रम की प्रगति पर दृष्टि रखना।

5. हंसा मेहता समिति (1962)

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का एक मुख्य कार्य – विद्यालय स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। इन समस्याओं में सर्वप्रमुख यह है – क्या विद्यालय स्तर पर बालक–बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में अंतर होना चाहिए? परिषद ने इस समस्या पर विचार करने के लिए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जिसे 'हंसा मेहता समिति' कहा जाता है। इस समिति ने दो सुझाव प्रस्तुत किये; यथा –

- विद्यालय स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अन्तर नहीं होना चाहिये।
- भारत में अभी जनतन्त्रीय एवं समाजवादी समाज के निर्माण की प्रतिक्रिया चल रही है।

6. भक्त वत्सलम् समिति (1963)

इस समिति का गठन भक्त वत्सलम् की अध्यक्षता में 1963 में किया गया। इसका महिला शिक्षा में जनसहयोग के अभावों का पता लगाना था। इस समिति के प्रमुख सुझाव –

- बालिकाओं के लिये पृथक प्राथमिक विद्यालय खोलने का अर्थ है – अधिक खर्चा। अतः इस स्तर पर सह–शिक्षा को लोकप्रिय बनाया जाये।
- स्त्री–शिक्षा में पिछड़े राज्यों को केन्द्रिय अनुदान प्रदान किये जायें।
- स्त्री शिक्षा के लिये प्रत्येक राज्य में परिषदों का गठन किया जाये।

7. कोठारी कमीशन व स्त्री–शिक्षा (1964–66)

'कोठारी कमीशन' ने स्त्री–शिक्षा के समस्त पक्षों के विषयों में महत्वपूर्ण सुझाव दिये है।

प्राथमिक शिक्षा –

'कोठारी कमीशन' ने बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अद्योलिखित सुझाव दिये –

- बालिकाओं को बालकों के प्राथमिक विद्यालयों में भेजने के लिये जनमत का निर्माण किया जाये।
- बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें लेखन सामग्री एवं वस्त्र देकर, शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
- 11–13 वय वर्ग की बालिकाओं के लिये अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

माध्यमिक शिक्षा –

- बालिकाओं को छात्रावास एवं यातायात के साधनों की सुविधाऐं प्रदान की जायें।
- बालिकाओं के लिये छात्रवृत्तियों और अल्पकालीन एवं व्यवसायिक शिक्षा की योजनाऐं आरम्भ की जायें।

उच्च शिक्षा –

- बालिकाओं के लिये पूर्व–स्नातक स्तर पर पृथक कॉलेजों का निर्माण किया जाये।
- बालिकाओं को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानवशास्त्र आदि पाठ्य–विषयों में चयन करने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाये।

- एक या दो विश्वविद्यालयों में स्त्री-शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोलने के लिये अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना की जाये।

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) स्त्री शिक्षा–

महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति से ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। 1951 तथा 1981 के बीच महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता 7.93 प्रतिशत से बढ़कर 24.82 प्रतिशत हो गयी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की समानता के लक्ष्य निर्धारित किये गये।

- लड़कियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का समयबद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम।
- 1995 तक 15-35 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा का एक समयबद्ध, चरणबद्ध कार्यक्रम।
- व्यावसायिक तकनीकी वृत्तिक शिक्षा तथा विद्यमान और उभरती प्रौद्योगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाना।

– आचार्य राममूर्ति समिति (1990) तथा महिला शिक्षा

आचार्य राममूर्ति समिति ने महिला शिक्षा के संबंध में निम्नांकित महत्वपूर्ण सिफारिशे की है।

- कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु देखभाल तथा शिक्षा केन्द्रों के अनुकूल बनाया जाये।
- आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाय।

- 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जायें।
- 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जूनियर - हाईस्कूल स्थापित किया जाय।
- विद्यालय की समयावधि को स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियों प्रदान की जाये।
- महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ायी जाये।

1.3 कार्य – योजना 1992 तथा महिला शिक्षा–

1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 39.42 थी जबकि पुरूष साक्षरता दर 63.86 प्रतिशत थी। उस समय 196 मिलियन महिला निरक्षर थी। शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाएं अधिक निरक्षर थी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में जब 100 लड़कियाँ प्रथम कक्षा में दाखिला लेती हैं तो कक्षा 12 में केवल एक रह जाती थी। जबकि शहरी क्षेत्रों में 14 रह जाती थी। तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा में भी शहरी क्षेत्रों की लड़कियों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ कम रहती थी। इस प्रकार इन क्षेत्रों में ग्रामीण लड़कियों की सहभागिता कम थी। कार्य – योजना में निम्न बातों पर बल दिया गया–

- सम्पूर्ण प्रणाली को इस प्रकार तैयार किया जायेगा जिससे महिलाओं को अधिकार प्रदान किया जा सके। अधिकार प्रदान करने में शिक्षा को एक सशक्त साधन बनाया जायेगा। जिसके निम्नांकित घटक होंगे।

  (i) महिलाओं का आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ाना ।

(ii) समाज, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान करके महिलाओं को छबि बनाना।

(iii) सभालोचनात्मक ढ़ंग से सोचने की क्षमता विकसित करना।

(iv) आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूचना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना।

(v) शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को जानकारी देकर विकल्प चुनने योग्य बनाना।

(vi) समाज में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी और सूचना तक उनकी पहुँच बढ़ाना ताकि सभी क्षेत्रों में समान आधार पर उनकी सहभागिता बढ़ायी जा सके।

- महिलाओं का स्तर बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के और अधिक विकास हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
- महिला – पुरूषों में भेदभाव के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर व्यावसायिक, तकनीकी और पंरांगत शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलओं को शामिल करना। इसके लिए लड़कियों के लिए सभी स्कूलों में विज्ञान और गणित की पढ़ाई प्रारंभ करके सुदृढ़ बनायी जायेगी। इसके स्कूलों में अध्यापिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेगे।
- तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश के लिए महिला आई.टी. आई. पॉलिटेक्निक और सामान्य पॉलिटेक्निक और आई.टी.आइ. में

महिला खण्डों को सशक्त बनाया जायेगा जिससे कि विषय क्षेत्रों, व्यवसायों तथा पाठ्यक्रमों में वैविध्य लाया जा सके।

- लड़कियों के स्कूल में विज्ञान और गणित की अध्यापिकाओं की कमी को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेगें।
- तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश की स्थिति में गुणवत्ता और संख्या दोनों दृष्टियों से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार लाया जायेगा। महिला आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक तथा सामान्य पॉलिटेक्निक और आई.टी.आई. में महिला खण्डों को सशक्त बनाया जायेगा जिससे कि विषय क्षेत्रों, व्यवासायों तथा पाठ्यक्रमों में वैविध्य लाया जा सके और इस प्रकार नथी और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में भागीदारी को बढ़ाया जा सके।
- तकनीकी तथा व्यवसायिक संस्थाओं में क्रेडिट बैकिंग उद्यम क्षमता के संबंध में योग्यता विकसित की जायेगी। अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रशिक्षता स्कीम को सुदृढ़ बनाया जायेगा।
- महिलाओं तथा लड़कियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए माहौल बनाने हेतु इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, तथा परम्परागत जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार जनचेतना जगाने सूचना और सम्प्रेषण के प्रसार में पूरक की भूमिका निभायेगा।

1.4 महिला समाख्या –

यह योचना (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) केन्द्र सरकार द्वारा अप्रैल 1989 में शुरू की गयी। इसे इण्डोडच संयुक्त कार्यक्रम के

रूप में नीदरलैण्ड सरकार से सत-प्रतिशत सहायता मिलती है। प्रारंभ में इस योजना के अन्तर्गत कर्नाटक उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्य थे। परन्तु अब इसका संचालन आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार झारखण्ड, मध्यप्रदेश तथा असम के 53 जिलो के 9000 ग्रामों में हो रहा है। महिला समाख्या कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिला वर्गो की शिक्षा तथा उनको अधिकार सम्पन्न करने का ठोस कार्यक्रम है।

महिला समाख्या के उद्देश्य –

(i) महिलाओं की आत्मछवि तथा आत्मविश्वास को बढ़ाना।

(ii) ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएँ वह ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर सके जो उन्हें समाज में रचनात्मक भूमिका अदा करने में सहायता प्रदान करें।

(iii) महिला संघों को ग्रामों में शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन तथा निगरानी करने योग्य बनाना।

(iv) महिलाओं तथा किशोर उम्र की लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं और लड़कियों के औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी संभव बनाता है।

1.5 अध्ययन की आवश्यकता:–

बाल्यावस्था से ही व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला रखी जाती है। इस अवस्था से डाले गये संस्कार सम्पूर्ण व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। इस अवस्था से ही बच्चों में खोज, जिज्ञासा विश्लेषण आदि की प्रवृत्तियों का विकास होता है। जिससे लिंगभेद पर आधारित

कार्य–विभाजन के बारे में विद्यार्थियों के दृष्टिकोण समाज की प्रमुख समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लिंग भेद पर आधारित कार्य–विभाजन के बारे में विद्यार्थियों का दृष्टिकोण कैसा है। लड़के और लड़कियों के दृष्टिकोण में भेद पाया जाता हैं। इसका अध्ययन करना आवश्यक हैं। अध्ययन के द्वारा ही हम विद्यार्थियों में कार्य–विभाजन के दृष्टिकोण को जान सकते है।

1.6 समस्या कथन :–

"समाज में लिंग–भेद पर आधारित कार्य–विभाजन के बारे में विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन"।

1.7 अध्ययन के उद्देश्य :–

1. कक्षा आठवीं के विधार्थियों में लिंग–भेद पर आधारित कार्य–विभाजन संबंधी दृष्टिकोण को जानना।
2. कक्षा–आठवीं के छात्र एवं छात्राओं में लिंग–भेद पर आधारित कार्य–विभाजन संबंधी दृष्टिकोण के अंतर को जानना।
3. कक्षा–आठवीं के ग्रामीण एवं शहरी विधार्थियों में लिंग–भेद पर आधारित कार्य–विभाजन संबंधी दृष्टिकोण के अंतर को जानना।

1.8 परिकल्पनाएँ:–

1. कक्षा आठवीं के विधार्थियों में लिंग–भेद पर आधारित में कार्य–विभाजन संबंधी दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है।
2. कक्षा आठवीं के छात्र एवं छात्राएं में लिंग–भेद पर आधारित कार्य–विभाजन संबंधी दृष्टिकोण में सार्थक अंतर नहीं है।
3. कक्षा आठवीं के ग्रामीण एवं शहरी विधार्थियों में लिंग–भेद पर आधारित कार्य–विभाजन संबंधी दृष्टिकोण में सार्थक अंतर नहीं है।

1.9 तकनिकी शब्दों की परिभाषाएँ :–

- **कार्य–विभाजन** – (Work Division)

  "किसी भी व्यक्ति को उसके ज्ञान रूचि, योग्यता के आधार पर कार्य दिया जाये उसे कार्य–विभाजन कहते है।"

- **दृष्टिकोण (Perspective)–**

  "कोई भी व्यक्ति वस्तु, स्थिति पदार्थ को देखने, सोचने, समझ ने के पहलू को दृष्टिकोण कहते हैं।

- **लैंगिक पक्षपात** :– (Gender Bias)

  "स्त्री और पुरूष के प्रति लिंग के आधार पर पक्षपात पूर्ण व्यवहार और अभिवृत्ति रखने को लैंगिक पक्षपात कहते हैं।"

- **लैगिक समानता** :– (Gender Equality)

  "पुरूष और महिला को लिंग के आधार पर नहीं लेकिन उनकी बुद्धि और शक्ति के आधार पर सामाजिक आर्थिक, राजकीय आदि क्षेत्रों में अधिकार और उत्तरदायित्व के समान अवसर प्रदान करने को लैगिंक समानता कहते हैं।"

- **लैगिक हितेच्छुक** :– (Gender Friendly)

  "लड़को और लड़किओं के प्रति लैंगिक पक्षपात नहीं रख के उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर उनके प्रति व्यवहार और अभिवृत्ति रखने को लैगिंक हितेच्छुक कहते हैं।"

- **लैगिक निरपेक्षता** :– (Gender Neutral)

  "स्त्री और पुरूष के प्रति लैगिंक निरपेक्षता पूर्ण व्यवहार और अभिवृत्ति रखने को लैगिंक निरपेक्षता कहते हैं।"

- **लैंगिक आचरण :–** (Gender Practices)

  "स्त्री और पुरूष को उनके लिंग को ध्यान में रखकर उनसे कार्य (work) और व्यवहार की अपेक्षा और अभिवृत्ति रखने को लिंग आचरण करते हैं।"

1.10 समस्या का सीमांकनं :–

- प्रस्तुत शोधकार्य केन्द्र शासित प्रदेश 'दादरा नगर हवेली' के ग्रामीण एवं शहरी विस्तार तक सीमित है।
- प्रस्तुत शोधकार्य कक्षा–8 के विद्यार्थियों पर किया गया।
- प्रस्तुत शोधकार्य उन विद्यार्थियों पर किया गया है जिनकी आयु 12 से 13 साल की है।